

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: आई.डी.एस.पी/2020/343

दिनांक: 29/03/2020


समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान ।

विषय: COVID-19 रोगियों की पहचान करने हेतु ओपीडी में आने वाले ARI/ URI/ Pneumonia व अन्य श्वसन तंत्र से सम्बन्धित रोगियों की मॉनिटरिंग के संबंध में
संदर्भ: भारत सरकार द्वारा जारी की गयी एडवाइजरी के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में राज्य के COVID-19 रोग के प्रसार को देखते हुये यह आवश्यक है कि आपके अधीनस्थ राजकीय चिकित्सा संस्थाओं के साथ साथ निजी चिकित्सा केन्द्रों पर आने वाले ARI/ URI/ Pneumonia व अन्य श्वसन तंत्र से सम्बन्धित रोगियों की मॉनिटरिंग किया जाना आवश्यक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले के समस्त राजकीय/निजी चिकित्सा केन्द्रों पर उपचार प्राप्त करने आ रहे ARI/ URI/ Pneumonia व श्वसन तंत्र से सम्बन्धित अन्य रोगियों की सूचना एकत्र करवाते हुए मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर विश्लेषण करवायें


यदि किसी एक ही क्षेत्र/गांव/वार्ड/मोहल्ला/कॉलोनी इत्यादि से उक्त रोग से संबंधित रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो तुरन्त ही रेपिड रेस्पॉन्स टीम संबंधित क्षेत्र में भेजकर भ्रमण कर आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करते हुए सूचना निदेशालय की ई-मेल आई.डी. rajasthan_idsp@yahoo.co.in पर प्रतिदिन प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।


(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी/2020/343

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
5. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. समस्त अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालय, राजस्थान।
7. नोडल ऑफिसर (आईडीएसपी) मुख्यालय।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, जोन-राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान
11. प्रभारी, केन्द्रीय सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का भ्रम करावें।
12. कार्यालय प्रति।


अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य,
राजस्थान, जयपुर